

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 179/2020

विनोद पुत्र मालाराम जाति जाट, निवासी चारण की ढाणी तन परसरामपुरा, तहसील नवलगढ,
जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार झुंझुनू आदेश दिनांक 31.01.2020 उनवानी सरकार बनाम विनोद
मु0न0 52/2019 अ0धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री राजेश पूनियां एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी - राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.10.2020
पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 31.01.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि जमीन हाल ख0न0 2722 रकबा 0.90 हैक्टर गै0मु0 नदी सरहद राजस्व ग्राम चारण की ढाणी तन परसरामपुरा तहत तहसील नवलगढ में स्थित है। अदालत मातहत ने उक्त जमीन में से 0.02 हैक्टर जमीन पर तथाकथित रूप से तारबन्दी व पशु बाडा बनाकर तथाकथित रूप से अतिक्रमण करने पर अपीलान्त को अदालत मातहत ने अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमण स्थल से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। मौजूदा प्रकरण में धारा 91 एल0आर0 एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते। कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न हो वहां समरी कार्यवाही के द्वारा सदभाविक काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में बाद रेगुलर कार्यवाही एवं शपथ पूर्वक साक्ष्य के बाद ही बेदखल किया जा सकता है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में विवादित जमीन के पुराने राजस्व रिकार्ड पर विश्वास करने में अनदेखी की है। जमीन हाल ख0न0 2722 के पुराने नं0 5192/3361 थे तथा ख0न0 5192/3361 के पुराने ख0न0 1644 थे पुराने ख0न0 1644 संवत् 2016 से संवत् 2038 तक आसकंवर बेवा बगनसिंह हिस्सा 1/5 व किशनसिंह, मूलसिंह, उम्मेदसिंह, जयसिंह, झोदसिंह जाति राजपूत की खातेदारी में दर्ज रही है बाद में राजस्व कर्मचारियों ने अपनी गलती से उक्त जमीन की गलत रूप से किस्म गै0मु0 नदी दर्ज कर दी उक्त जमीन मालाराम ने पूर्व खातेदार जयसिंह से खरीदी थी तब से अपीलान्त का सदभाविक कब्जा चला आ रहा है। मौजूदा प्रकरण में अब्दुल रहमान बनाम सरकार व जगपालसिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय में अपीलान्त उक्त जमीन पर अतिक्रमी कैसे है इसका आधार दर्ज नहीं किया आलौच्य निर्णय स्पष्ट नहीं है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जबाब देही को नजर अन्दाज किया है। विवादित जमीन के पूर्व खातेदारों ने किस्म परिवर्तन के विवाद के बाबत सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश कर रखा है। विवादित जमीन में अपीलान्त अतिक्रमी नहीं है। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की

जिला कलक्टर झुंझुनू

जाकर अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ द्वारा पारित अलौच्य निर्णय दिनांक 31.01.2020 खारिज किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि उसने किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है। विवादित भूमि हाल खसरा नम्बर 2722 की किस्म गैर मुमकिन नदी है। अपीलान्ट के विरुद्ध अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ ने दिनांक 19.02.2011 को बेदखली आदेश पारित किये थे जिसकी अपील माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनूं के यहां की गई। माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनूं द्वारा अपील खारिज किये जाने पर माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं के यहां अपील दायर की गई। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं के द्वारा अपील खारिज किये जाने पर उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई जो आदिनांक तक विचाराधीन है। अब पुनः अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ ने एक दूसरा और मुकदमा अपीलान्ट के विरुद्ध दायर किया है। एक ही प्रकरण में अपीलान्ट के विरुद्ध दो-दो मुकदमे दायर नहीं किये जा सकते हैं। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 50 वर्षों से कब्जा है। अपीलान्ट ने विवादित जमीन पूर्व खातेदारों से क़य की है। अपीलान्ट विवादित भूमि का सद्भावी क़ेता है। विवादित जमीन की किस्म सैटलमेन्ट से पूर्व बाराणी थी जिसे सैटलमेन्ट के दौरान बदला गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2020 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन नदी है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट के विरुद्ध पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनूं में निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट की अपील खारिज की गई है जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनूं में अपील दायर की जिसके भी खारिज हो जाने पर अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान में वाद दायर किया है। अपीलान्ट माननीय न्यायालय में अदालत मातहत तहसीलदार नवलगढ के आदेश के विरुद्ध गलत तरीके से गये है। अपील सारहीन है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2020 के विरुद्ध अपील न्यायालय के समक्ष 21.09.2020 को प्रस्तुत की है। अपीलार्थी को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व से थी उसके बावजूद अपील प्रस्तुत करने देरी की है, साथ ही दिन - प्रतिदिन की देरी के कारण का भी अकंन नहीं किया है। परन्तु न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण पूर्ण सुनवाई तथा गुणावगुण के आधार किया जाना उचित है। अतः अपीलार्थी को दफा 5 मि.अ. का लाभ देते हुये अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रकरण में अवलोकन व मनन से यह तथ्य सामने आये हैं :-

1. अपीलार्थी का कथन है कि ग्राम परसरामपुरा तहसील नवलगढ स्थित विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 2722 रकबा 0.90 हैक्टर अपीलार्थी की खरीद शुदा भूमि है, जिसपर वह काबिज काश्त है तथा आराजी की किस्म गैर मुमकीन नदी की बाबत एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के यहां विचाराधीन चल रहा है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के टाईटल की बाबत जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है उसे वैध नहीं माना जा सकता है। चूंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि राजकीय है तथा किस्म गैर मुमकीन नदी के रूप में दर्ज है तथा जबतक विवादित आराजी को टाईटल तय नहीं होता तब तक वह वर्तमान रिकार्ड

- के अनुसार प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी मानी जावेगी। इसलिए इस पर अपीलार्थी द्वारा किये गये कब्जे को सही नहीं माना जा सकता है।
2. अपीलार्थी का दुसरा कथन है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 2722 के गत खसरा नम्बर 5192/3361 थे तथा खसरा नम्बर 5192/3361 के गत खसरा नम्बर 1644 थे, जो संवत् 2016 से 2038 तक खातेदारी अधिकार में रहे हैं। लेकिन उपरोक्तानुसार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को विरुद्ध वर्तमान रिकार्ड के अनुसार अतिक्रमी मानकर आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत एवं उचित है।
 3. प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार के तथ्य चस्पता होते हैं। क्योंकि उक्त नजीर के अनुसार 15 अगस्त 1947 में तथा उसके बाद प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि की बाबत जो भी आदेश या परिवर्तन हुए हैं वह अकैध माने जायेंगे। अदालत मातहत द्वारा प्रतिबन्धित भूमि पर किये अतिक्रमण के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 तहत कार्यवाही की है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं मानते हैं।
 4. अतः अपील अपीलान्त स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय सुनार होकर पजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान) 09/10/20
जिला कलक्टर, मुंबई
जिला कलक्टर, मुंबई